

नवीन उत्पादक, उच्चदाब तथा अति उच्चदाब संस्थापनाओं के लिये देय निरीक्षण शुल्क
(ट्रांसफार्मर, बूस्टर, कैपेसिटर्स बैंक, रियेक्टर, पावर स्टेशन, मोटर, जनरेटिंग सेट)

1. 25 के.व्ही.ए तक	450
2. 25 के.व्ही.ए से अधिक और 100 के.व्ही.ए तक	1500
3. 100 के.व्ही.ए से अधिक और 500 के.व्ही.ए तक	3000
4. 500 के.व्ही.ए से अधिक और 1000 के.व्ही.ए तक	6000
5. 1000 के.व्ही.ए से अधिक और 5000 के.व्ही.ए तक	8000
6. 5000 के.व्ही.ए से अधिक और 10000 के.व्ही.ए तक	18000
7. 10000 के.व्ही.ए से अधिक और 50000 के.व्ही.ए तक	24000
8. 50000 के.व्ही.ए से अधिक	30000
उच्चदाब, अति उच्चदाब स्थापना के ब्रेकर / पैनल	
1. 11 के.व्ही तक	500
2. 11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	1000
3. 33 के.व्ही से अधिक और 132 के.व्ही तक	2000
4. 132 के.व्ही से अधिक और 220 के.व्ही तक	3000
5. 220 के.व्ही से अधिक और 400 के.व्ही तक	4000
6. 400 के.व्ही से अधिक	5000
नई उच्चदाब या अति उच्चदाब ओवरहेड लाइन	
प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये	
1. 11 के.व्ही तक	200
2. 11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	500
3. 33 के.व्ही से अधिक और 132 के.व्ही तक	1000
4. 132 के.व्ही से अधिक और 220 के.व्ही तक	2000
5. 220 के.व्ही से अधिक और 400 के.व्ही तक	3000
6. 400 के.व्ही से अधिक	5000
नए उच्चदाब या अति उच्चदाब केबल्स / बसडबट / (ओवरहेड लाइन को छोड़कर)	
1. 11 के.व्ही तक	500
क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	
ख- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	200
2. 11 के.व्ही से अधिक और 33 के.व्ही तक	
क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1000
ख- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	500
3. 33 के.व्ही से अधिक	
क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	2000
ख- प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1000